भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2469
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

असम में नदी का कटाव

+2469 मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान असम में नदी के कटाव से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो 15वें वित्त आयोग दवारा "नदी के कटाव को प्राकृतिक आपदा करार दिए जाने के बाद पुनर्वासित किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि राज्य सरकार नदी कटाव की किसी घटना के बाद सभी प्रभावित व्यक्तियों की सूचना को अद्यतन करे ; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा नदी के कटाव से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। बाढ़ और कटाव के कारण लोगों का पुनर्वास संबंधित राज्य के दायरे में आता है और पुनर्वास का काम संबंधित राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना होता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने नदी कटाव के गंभीर प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिणाम का संज्ञान लिया था। इसमें कटाव से संबंधित दो पहलुओं अर्थात कटाव को रोकने के लिए शमन उपाय [(राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत) और कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास [राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत] पर विचार किया गया था।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2469, दिनांक 06.08.2024

तदनुसार, कटाव के जोखिम को कम करने के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचाट अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए एनडीएमएफ से 1,500 करोड़ रुपये और कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 1000 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए असम राज्य सरकार को राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के तहत 948.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार एसडीएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न आपदाओं के लिए शमन गतिविधियां चला सकती है।

केंद्र सरकार ने तटीय और नदी कटाव के लिए शमन उपाय करने के लिए एनडीएमएफ के तहत धन जारी करने के लिए दिशानिर्देश और कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर एक नीति दिनांक 20.06.2024 को जारी की है। सभी दिशानिर्देश अर्थात. एनडीएमएफ के लिए दिनांक 28.02.2022, एसडीएमएफ के लिए दिनांक 14.01.2022, तटीय और नदी कटाव के लिए दिनांक 20.06.2024 को और साथ ही कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर दिनांक 20.06.2024 को जारी नीति गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

***